न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : **डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0**

राजस्व वाद संख्या : **62/2018**

GCMS NO. : **2018/00114**

–: वादीगण :–

1. माणकचंद पुत्र श्रीलाल जाति– माली, निवासी– फौजी चौराहा जैतारण, तहसील– जैतारण जिला– पाली राज0।

बनाम

–: प्रतिवादीगण :–

1. परसराम दत्तक पुत्र भंवरलाल जाति माली निवासी पंचायत समिति के सामने जैतारण,तहसील जैतारण।
2. सत्यनारायण पुत्र रूपाराम जाति माली निवासी आगेवा रोड़ जैतारण, तहसील जैतारण जिला पाली।
3. नैनाराम पुत्र घीसूजी जाति माली निवासी फौजी चौराहा जैतारण।
4. लीला देवी पत्नी सम्पतराज जाति माली निवासी अन्नपूर्णा कॉलोनी जैतारण, तहसील जैतारण।
5. बिरदाराम पुत्र घीसू जाति माली निवासी फौजी चौराहा जोधपुर रोड़ जैतारण, तहसील जैतारण।
6. जयराम पुत्र तेजाराम जाति माली निवासी गौशाला रोड़ जैतारण।
7. अशोक पुत्र तेजाराम जाति माली
8. तुलसी देवी पत्नी तेजाराम माली
9. किरण पुत्री तेजाराम माली
10. इन्द्रा पुत्री तेजाराम माली
11. संतोष पुत्री तेजाराम माली निवासीगण गौशाला रोड़ जैतारण।
12. सोहनी देवी पत्नी कानाराम जाति माली निवासी आगेवा रोड़ जैतारण।
13. तहसीलदार जैतारण।
14. शाखा प्रबन्धक पाली जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड पाली, शाखा जैतारण, तहसील जैतारण।
15. शाखा प्रबन्धक, मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा जैतारण,तहसील जैतारण।
16. शाखा प्रबन्धक बी.ओ.बी शाखा जैतारण तहसील जैतारण।

राजस्व प्रार्थना पत्रबाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा **अन्तर्गत धारा 212राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955** **तारीख रजू:– 20.03.2018**

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.06 13:47:56 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थितः–

1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री चुतराराम भाटी, अधिवक्ता, अप्रार्थी।

–:: निर्णय :: **दिनॉकः–06/10/2022**

वकील मय प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

किया कि सरहद मौजा जैतारण पटवार हल्का जैतारण तहसील जैतारण जिला–पाली में सायल एवं गैरसायलान की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 534 रकबा 0–09 बीघा किस्म गैर मुमकिन बेरा, खसरा नम्बर 535 रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 536 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 542 रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 543 रकबा 68 बीघा 12 बिस्वा किस्म बारानी दोयम कुल खसरा नम्बर 05 कुल रकबा 97 बीघा 02 बिस्वा की भूमि आई हुई है। जिसमें सायल एवं गैरसायलान सभी राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे है। तथा गैर मुमकिन बेरा खसरा नम्बर 534 में भी इसी प्रकार हक हिस्सा व अधिकार है। ग़ैर मुमकिन बेरा खसरा नम्बर 534 की भूमि को छोड़कर उपर वर्णित शेष खसरा नम्बरान की भूमि को इस वादपत्र में आगे सुविधा की दृष्टि से विवादित भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। नकल चालू जमाबंदी व नक्शा ट्रेश इस भूमि का वादपत्र के साथ पेश है जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। विवादित भूमि राजस्व रेकर्ड में पक्षकारान के मध्य संयुक्त व शामलाति रूप से दर्ज है, लेकिन मौके पर उक्त भूमि वर्षो पूर्व से आपसी सहमति से अलग अलग बंटी हुई है। माफिक बंटवाड़ा एवं हक हिस्से के अनुसार इस विवादित भूमि में 1/9 वां हिस्सा सायल माणकचंद का है एवं शेष भूमि पर गैरसायलान का हक हिस्सा व अधिकार है। इसी माफिक सभी पक्षकार मौके पर काबिज होकर के काश्त करते आ रहे है। उक्त वादग्रसत भूमि मेगा हाईवे नम्बर 458 के पश्चिमी तरफ स्थित है, जिसका पक्षकारो के बीच वर्षो पूर्व से आपसी सहमति से बंटवाड़ा हो रखा था, लेकिन अब गैरसायल लीलादेवी एवं उसके पति सम्पतराज आये दिन इस वादग्रस्त भूमि के नाप चौप व माठ को लेकर के सीमा विवाद कर रहे है। जिस पर सायल ने माफिक मौका स्थिति के अनुसार गैरसायलान से बंटवाड़ा कर लेने हेतु निवेदन किया लेकिन गैरसायलान उसमें सहमत नहीं हो रहे है। तथा गैरसायलान लीलादेवी एवं उसके पति सम्पतराज स्वयं अपनी ओर से सीमा विवाद करते हुये मेगा हाईवे नम्बर 458 के चिपते हुये बहूमूल्य जायदाद को अपनी होना बताकर उस पर रहवासी मकान व व्यवसायिक परिसर दूकाने आदि बना रहे है। जबकि उक्त सम्पूर्ण विवादित भूमि कृषि भूमि है इसका किसी प्रकार से भू–रुपान्तरण भी नहीं हुआ है। तथा सायलान द्वारा बार बार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा का निवेदन गैरसायलान से किये जाने के बावाजूद भी गैरसायलान इसमें सहमत नहीं हो रहे है एवं दिनांक 28.02.2018 को गैरसायलान लीलादेवी व उसके पति सम्पतराज ने बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करने से स्पष्टतया इन्कार कर दिया है। वादग्रस्त भूमि का कानूनन बाई मिटस् एण्ड बाऊण्डस् के बंटवाड़ा नहीं होने से वादी को अनेको प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। जिसमें सायल को इस भूमि को उपजाऊ बनाने, उसके चारो तरफ तारबन्दी करने, खाद बीज आदि डालने में वादी को अनेको परेशानीयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए इन परेशानीयों से बचने के लिये कानूनन बाई मिटस एण्ड बाऊण्डस के बंटवाड़ा किया जाना आवश्यक है लेकिन गैरसायलान के सहमत नहीं होने की वजह से सायल के पास यह प्रार्थना पत्र पेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:17:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला–पाली

करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह प्रार्थना पत्र बहक प्रार्थी विरुद्ध गैरसायलान के पेश है। उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि में सायल अपने हक हिस्से की भूमि पर मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे है परन्तु गैरसायलान नीलादेवी व उसका पति सम्पतराज बादी को मौके से बेदखल कर वादी की बेशकीमती भूमि पर अपना कब्जा करते हुये वहां पर निमार्ण करने को आमादा है व इसी नियत से उक्त गैरसायलान आये दिन सायल के कब्जे-काश्त में दखलन्दाजी कर रहे है। तथा सायलगण की भूमि में कब्जा करने पर उतारू है। तथा भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्ड के बंटवाड़ा करवाये ही विशिष्ट भू-भाग पर वाणिज्यक प्रयोजनार्थ दूकाने बना रहे है व इसी मंशा से दिनांक 28.02.2018 को उक्त गैरसायलान ने संयुक्त व शामलाति भूमि का बंटवाड़ा करने से इन्कार करते हुये मौके पर निमार्ण सामग्री लाकर डाल दी है। तथा अपना निमार्ण करते हुये सड़क किनारे स्थित बहुमूल्य जायदाद को हड़प कर लेना चाह रहे है इस प्रकार से यदि गैरसायलान ऐसा दुष्कृत्य करने में सफल हो गये एवं संयुक्त व शामलाति भूमि पर अपनी पक्की दूकाने बनाकर कब्जा कर लिया तो सायल अपनी भूमि व साम्पेतिक जायदाद से हमेशा हमेशा के लिए वंचित हो जायेगें। जिससे सायल को अपूर्णीय क्षति होंगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नहीं है। सायल गैरसायलान के ऐसे अवैधानिक कृत्यों का विरोध करेगें। जिससे विवाद बढेगा एवं मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी तब इन परिस्थितियों में प्रार्थना पत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का बहक सायलान विरुद्ध गैरसायलान के पेश है। समस्त तथ्यो परिस्थितियो व दस्तावेजात एवं मौके पर कब्जा व काश्त के आधार पर सायल का प्रथम दृष्टया मामला बखुबी सायल के पक्ष में प्रमाणित है यदि गैरसायलान जबरदस्ती सायलान को उसके हक हिस्से की भूमि से बेदखल कर देते है, या भूमि पर जबरदस्ती कच्चा पक्का निर्माण कार्य कर देते है या मौके पर सायल के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करते है तो सायल को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नही हो सकेगी। एवं होने वाली क्षति का मूल्यांकन मुद्रा में नही आंका जा सकता है। इसलिए सुविधा का संतुलन भी सायलान के पक्ष में प्रमाणित है। तब यह प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का बहक सायल विरुद्ध गैरसायलान के पेश है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस/सम्मन तलंब किया। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03, 05 से 11 तथा 14 से 16 को बार बार आवाजे दिलाई गई बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। अप्रार्थीगण संख्या 04 व 13 की ओर से वकील चुतराराम भाटी ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। वकील अप्रार्थी जवाब पेश नही करना चाहते है अतः जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:17:56 IST
Reason: SelfAttested

बहस अधिवक्ता प्रार्थी राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात, गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
नोखा, जिला-बीकानेर

के अवलोकन व विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार हैः-

(01) प्रथम दृष्ट्या मामला :- पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी ग्राम जैतारण के खसरा नम्बर 534 रकबा 0-09 बीघा किस्म गैर मुमकिन बेरा, खसरा नम्बर 535 रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 536 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 542 रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 543 रकबा 68 बीघा 12 बिस्वा किस्म बारानी दोयम कुल खसरा नम्बर 05 कुल रकबा 97 बीघा 02 बिस्वा

के कानूनन बंटवाड़े बाबत् वादपत्र प्रस्तुत कर हस्तगत अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। पत्रावली पर उपलब्ध भू अभिलेख से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण की अविभाजित सहखातेदारी भूमि है। जिसके कानूनन बंटवाड़े हेतू जैरकार वादपत्र प्राथमिक डिक्री किया जा चूका है। प्रार्थी द्वारा यह कथन किया गया है कि अप्रार्थीगण बिना बंटवाड़ा करवाये वादग्रस्त आराजी के विशिष्ट भू भाग पर वाणिज्यिक दूकाने आदि निर्मित करवा रहे है जिसके लिए भू रूपान्तरण भी नही करवाया गया है। चूंकि वादपत्र प्राथमिक डिक्री हो चूका है, अतः खातेदारान के मध्य अंतिम रूप से बंटवाड़े तक वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्ड एवं मौके की वर्तमान स्थिति में परिवर्तन होने से प्रकरण में अनावश्यक जटिलता उत्पन्न होना स्वाभाविक है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होने से उसी अनुरूप निर्णित किया जाता है।

(02) सुविधा का संतुलन व *(03) अपूर्णनीय क्षति :-* चूंकि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित हुआ है साथ ही वादग्रस्त आराजी अविभाजित सहखातेदारी भूमि है जिसके कानूनन बंटवाड़े हेतू वादपत्र प्राथमिक डिक्री किया जा चूका है। चूंकि उभयपक्षकारान् सहखातेदारान है अतः अपने हक हिस्से तक सुविधा का संतुलन प्रत्येक सहखातेदारान के पक्ष मे निहित होता है साथ ही सहखातेदारान के मध्य वादग्रस्त आराजी के अंतिम रूप से विभाजन तक वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख एवं मौके को सुरक्षित रखना समुचित न्याय निर्णयन के लिए आवश्यक है अतः उपर्युक्त दोनो बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में भली भांति साबित होने से इसी अनुरूप निर्णित किए जाते है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि चूंकि वादग्रस्त आराजी उभयपक्षकारान् की अविभाजित सहखातेदारी भूमि है जिसका बंटवाड़े बाबत् जैरकार वादपत्र प्राथमिक डिक्री किया जा चूका है लिहाजा उभयपक्षकारान को ताफैसलावाद जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा इस बाबत् पाबन्द किया जाना आवश्यक एवं उचित होगा कि वे वादग्रस्त आराजी का मौका स्थिति में कोई परिवर्तन नही करे, रहन, बैचान हस्तान्तरण आदि नही करे तथा किसी प्रकार का नवीन कच्चा पक्का निर्माण नही करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:17:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

–::आदेश::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली–भाँति साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। उभयपक्षकारान को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे ताफैसलावाद वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा जैतारण पटवार हल्का जैतारण के खसरा नम्बर 534 रकबा 0–09 बीघा किस्म गैर मुमकिन बेरा, खसरा नम्बर 535 रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 536 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 542 रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 543 रकबा 68 बीघा 12 बिस्वा किस्म बारानी दोयम कुल खसरा नम्बर 05 कुल रकबा 97 बीघा 02 बिस्वा की मौका स्थिति में कोई परिवर्तन नही करे, रहन, बैचान हस्तान्तरण आदि नही करे तथा किसी प्रकार का नवीन कच्चा पक्का आदि निर्माण नही करे। पत्रावली इसी निमित निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 06/06/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:17:56 IST
Reason: SelfAttested